

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 04, शुक्रवार, शके 1948-अप्रैल 24, 2026 Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपुर, जनवरी 19, 2026

संख्या एफ.1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/603 :-यतः राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से सम्बंधित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे में स्वयं का समाधान करेगा, और

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोर्ड मतपत्र दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बंधित है, और

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार निर्वाचक नामावली तैयार कर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं एवं नव पंजीकृत मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को वार्डवार विभक्त कर तैयार की जाती है, जिससे विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में स्वतः ही पंजीकृत हो जाते हैं। अतः राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होता है, जो मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए प्राथमिक मान्य दस्तावेज है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं अनुच्छेद 243ZA के साथ पठित राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश संख्या 559

दिनांक 07.02.2019 को अधिक्रमित करते हुए यह निर्देश देता है कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोर्ड निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोर्ड एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

1. आधार कार्ड,
2. मनरेगा कार्ड,
3. बैंको/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,
4. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कोर्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड,
5. ड्राइविंग लाइसेन्स,
6. पैन कार्ड,
7. भारतीय पासपोर्ट,
8. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज,
9. केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
10. सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और
11. यूनिक डिसएबिलिटी आर्डिडी (यूडीआर्डिडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगरपालिका के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाये और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाये।

परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आए तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

भवदीय,

राजेश वर्मा,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।